वही पार्टियां बल्क ड्रग्ज मंगा सकती हैं जो यहां से दवाये भेजती हैं ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : दवाओं का पूरा आयात बन्द आप करेंगे ?

श्रीमती चन्द्रावती : इम्पोर्ट लाइसेंस देते वक्त क्या इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस को लाइसेंस दिया जाए वह ड्रगिस्ट या कैमिस्ट हो ? क्या इसकी कुछ क्वालिफिकेशंज भी रखी गई हैं ?

श्री जनेश्वर मिश्र : हां, इसका ख्याल रखा जाता है ।

श्रीमती चन्द्रावती : क्या आप इसकी जांच कराएंगे कि ऐसे लोगों को भी दिए गए हैं जिन में ये वालिफिकेशंज नहीं थीं ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अगर माननीय सदस्या कोई स्पेसेफिक केस बताएंगी तो जरूर जांच कराई जाएगी ।

श्रीमती चन्द्रावती : हम थोड़े ही बताएंगे? आपके पास सरकार है । आप पता लगाएं ।

SHRI VINODBHAI B. SHETH: In view of the poor performance of the drug industry with regard to making available cheap drugs to the poor people, will the Government think in terms of nationalisation of the entire drug industry for the welfare of the poor persons?

श्री जनेश्वर मिश्र : हाथी कमेटी की जो सिफारिशें हैं उन पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री हुकम देव नारायण यादव : औषधियों में मिलावट की जो बीमारी है उस ने देश में गम्भीर रूप धारण कर लिया है । एक आदमी अगर किसी को जान से मार डालता है तो उसको फांसी या आजीवन कारावास की सजा होती है । मिलावटी दवाओं से सैकड़ों लोगों की जान जाती हैं । यह बीमारी तब तक नहीं रुक सकती है जब तक कड़ा कानून नहीं बनाया जाता है । क्या सरकार भारतीय दंड विधान में संशोधन करके या कोई कानून बना कर ऐसी व्यवस्था करेगी कि दवाओं में जो मिलावट करेगा या मिलावट जिस के यहां पाई जाएगी उन लोगों को आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा दी जायेगी ?

MR. SPEAKER: It is a good suggestion for action.

श्री जनेश्वर मिश्र : माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है । इसे ला मिनिस्ट्री को रेफर कर दिया जाएगा ।

श्री किशोर लाल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि कैमिकल फार्मूले जो आई० डी० पी० एल० बनाता है उन में से कोई दो ढाई सौ फारेन कम्पनियों को दिए गये हैं ?

श्री जनेश्वर मिश्र : इसके लिए मुझे अलग से नोटिस चाहिये ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम को सरल बनाना

*6. **श्री अघन सिंह ठाकुर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य मंडल, कलकत्ता ने कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम को सरल और युक्ति संगत बनाने के बारे में कोई सुझाव दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान् जी । ये कम्पनी अधिनियम, 1956 व एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की परीक्षा करने के लिये, सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रेषित प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर में भजे गये हैं ।

(ख) अनेक वाणिज्य मंडलों, संस्थाओं तथा अन्य निकायों से प्राप्त सुझावों तथा टिप्पणियों सहित इन पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जा रहा है, जो 1978 के मध्य तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । इस दृष्टि से, भारतीय वाणिज्य मंडल, कलकत्ता के सुझावों पर, सरकार द्वारा विचार करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तोड़-फोड़ की कार्यवाही के कारण हुई रेल दुर्घटनायें

*7. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या रेल मंत्री निम्न जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 से अब तक तोड़-फोड़ की कार्यवाही के कारण अथवा अन्यथा जोनवार कितनी रेल दुर्घटनायें हुयीं ;

(ख) तोड़-फोड़ की कार्यवाही से सम्बद्ध कितने व्यक्ति पकड़े गये और कितने मामलों में जांच चल रही है ;

(ग) दुर्घटनाओं से सम्बद्ध दोषी रेल-कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) मार्च, 1977 से जनवरी, 1978 तक की अवधि में भारत की सरकारी रेलों पर टक्कर होने, पटरी से उतर जाने, समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं तथा गाड़ियों में आग लगने की कोटियों के अन्तर्गत 803 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई । इनमें से 8 दुर्घटनाएं तोड़फोड़ की कार्यवाही के कारण हुई । क्षेत्रवार स्थिति इस प्रकार है:—

क्षेत्रीय रेलवे	गाड़ी दुर्घटनाओं की कुल संख्या	तोड़फोड़ के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या
मध्य	102	2
पूर्व	47	—
उत्तर	98	2
पूर्वोत्तर	74	1
पूर्वोत्तर सीमा	71	—
दक्षिण	88	1
दक्षिण मध्य	68	—
दक्षिण पूर्व	122	1
पश्चिम	133	1
जोड़	803	8

(ख) 36 व्यक्ति पकड़े गये । तोड़फोड़ के सभी मामलों में पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है ।

(ग) दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाये गये रेल कर्मचारियों को दिये गये दण्ड का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) बरखास्त किये गये/ नौकरी से हटाये गये